न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/37

जोधराज शर्मा आत्मज श्री अमरलाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 05.10.2017

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.10.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 145 की 06 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया और कथन किया कि उक्त भूमि वादी व केसरीलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि वादी वादी को दिनांक 22.11.1967 को आवंटित हुई थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 18.04.84 को खातेदारी भूमि का पट्टा प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया । उक्त भूमि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 174 रकबा 0.86 हैक्टर व खसरा नम्बर 176/193 की 0.08 हैक्टर कुल दो किता 0.94 हैक्टर दर्ज की गई और सहवन से उक्त भूमि पर गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई । उक्त भूमि के सम्बन्ध में अन्य खातेदार केसरी लाल आत्मज लक्ष्मीनारायण द्वारा वादी के पक्ष के दिनांक 18.05.1972 को इकरारनामा आलेखित किया गया जिसमें केसरी लाल द्वारा अपना हिस्सा वादी के हक में बेचान कर दिया । राजस्व रिकॉर्ड में केसरी लाल का नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है जबकि उसका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है ।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 174 की 0.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 176/193 की 0.08 हैक्टर कुल 02 किता की 0.94 हैक्टर भूमि से केसरी लाल का नाम हटाया जावे तथा वादी को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उक्त भूमि के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करे और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.10.2012 के द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए वादी का वाद अशंतः स्वीकार करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 03.10.2012 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित कर दिया । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अपने वकील साहब को नियुक्त कर दिया था और उन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया और उन्होंने आवश्यकता होने से सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनके वकील साहब द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.01.2014 को अपने वकील साहब के पास जाने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 145 की 06 बीघा जोधराज, केसरी लाल को आवंटित की गई थी और दिनांक 18.04.1984 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये थे । उक्त भूमि के भू–प्रबन्ध विभाग ने खसरा नम्बर 174, 176/193 कायम करते हुए उक्त भूमि गैर खातेदारी में दर्ज कर दी । भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि को गैर खातेदारी में दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था इस प्रकार उक्त इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । केसरी लाल ने उसके हिस्से की भूमि अपीलान्ट को बेचान कर तथा प्रमाण में अपीलान्ट के पक्ष में तहरीर निष्पादित कर दी । केसरी लाल लाऔलाद फौत हुआ था उसका कोई वारिस जीवित नहीं है इस कारण उसे पक्षकार बनाया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित कर दिया । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अपने वकील साहब को नियुक्त कर दिया था और उन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया और उन्होंने आवश्यकता होने से सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनके

साहब द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक .2014 को अपने वकील साहब के पास जाने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.10.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में जो आवंटन आदेश पेश हुआ है वह गलत प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का ही होना माना है । अपीलान्ट के उक्त कथनों को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.10.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 05.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा